कार्यालय-मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) 2026 का लाभ प्राप्त करने हेतु सुनहरा अवसर

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि शासनादेश सं0–56/2026/305/आठ–1–26–1853504 दिनांक 20.03.2026 के द्वारा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण में सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों एवं मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष बकाये की वसूली हेतु एक अवसर प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) 2026 लागू किये जाने का शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है।

1. ओ0टी0एस0 योजना समस्त प्रकार की सम्पत्तियां यथा–आवासीय/व्यवसायिक/स्कूल/ चैरिटेबिल संस्थान/समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियां चाहे नीलामी द्वारा अथवा अन्य पद्धति से आवंटित हो पर ओ0टी0एस0 योजना लागू होगी ।
2. आवंटियों द्वारा आवेदन ऑफलाईन/ऑनलाईन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु ओ0टी0एस0 योजना का आवास बन्धु की बेवसाईट (www.awasbandhu.in) के होम पेज पर लिंक उपलब्ध कराया जायेगा ।
3. ओ0टी0एस0 योजना दिनांक 18.04.2026 से कियाशील होगी जिसकी तीन माह की अवधि निर्धारित की जाती है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
4. ओ0टी0एस0 हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीन माह में किया जायेगा । जिन प्रकरणों में ओ0टी0एस0 हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे डिफाल्टरों के विरूद्व नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
5. एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) 2026 के सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्राधिकरण की बेवसाईट mvdamathura.com पर अपलोड किया जायेगा ।

अतः ऐसे सभी डिफाल्टर आवंटियों को सूचित किया जाता है कि ओ.टी.एस. योजना के अन्तर्गत आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शेष शर्तें यथावत रहेंगी । अधिक जानकारी के लिए निम्न मो0नं0–8899294517, 8532045320, 8279591302 तथा 7376182347 पर सम्पर्क कर सकते हैं ।

सहायक सम्पत्ति अधिकारी

सचिव